भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2592
उत्तर देने की तारीख 07 अगस्त, 2024

वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) से प्रभावित क्षेत्रों में मोबाइल टावरों की संस्थापना

2592. श्री नलिन सोरेन:

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) से प्रभावित क्षेत्रों में सरकार द्वारा मोबाइल टावर संस्थापित करने हेतु क्या उपाय किए गए हैं; और

(ख) सरकार द्वारा देश के उन गांवों और द्वीपों में मोबाइल कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं, जहां वर्तमान में नेटवर्क कवरेज नहीं है?

उत्तर
संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर)

(क) और (ख) सरकार द्वारा वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) से प्रभावित क्षेत्रों और द्वीपसमूहों सहित देश के सेवा से वंचित गांवों में मोबाइल कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए निम्नलिखित सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यूएसओएफ) वित्तपोषित स्कीमें बनाई गई हैं:

i. 354 सेवा से वंचित गांव स्कीम
ii. 502 आकांक्षी जिला स्कीम
iii. 7287 आकांक्षी जिला स्कीम
iv. मेघालय में 4जी मोबाइल सेवाओं का प्रावधान।
v. अरुणाचल प्रदेश और असम के दो (2) जिलों (कार्बी आंगलोंग और दीमा हसाओ) के सेवा से वंचित गांवों में 4जी मोबाइल सेवाओं का प्रावधान।
vi. अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के सेवा से वंचित गांवों और राष्ट्रीय राजमार्ग-4 के साथ-साथ 4जी मोबाइल सेवाओं का प्रावधान।

vii. लक्षद्वीप द्वीपसमूह में 4जी मोबाइल सेवाओं और ओएफसी नेटवर्क के विस्तार का प्रावधान।

viii. एलडब्ल्यूई चरण-I परियोजना के तहत वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में गृह मंत्रालय द्वारा चिन्हित टावर वाले स्थानों पर 2जी मोबाइल सेवाओं का प्रावधान। इस परियोजना के तहत संस्थापित 2जी साइटों को 4जी में अपग्रेड किया जा रहा है।

ix. एलडब्ल्यूई चरण-II के तहत वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में गृह मंत्रालय द्वारा चिन्हित टावर स्थानों पर 4जी मोबाइल सेवाओं का प्रावधान।

x. 4जी सैचुरेशन स्कीम।

*****